भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 82

उत्तर देने की तारीख-25/11/2024

नांदयाल के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और छात्र कल्याण

†82. डॉ. बायरेड्डी शबरीः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश के नांदयाल जिले के सरकारी स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात पर लेखापरीक्षा की है, यदि हां, तो राष्ट्रीय मानकों की तुलना में इनका ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस कमी को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान नांदयाल जिले में मध्याह्न भोजन योजनाओं में निधि के दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं, और यदि हां, तो सरकार द्वारा जवाबदेही और भोजन की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) नांदयाल जिले में विशेष रूप से छात्राओं के बीच स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं और सरकार द्वारा आज तक क्या मापनीय परिणाम प्राप्त किए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) मानदंड क्रमशः 30:1 और 35:1 हैं। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र से स्कूल शिक्षा के संकेतकों पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए

शिक्षा प्लस (यूडाइज+) के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली विकसित की है। यूडाइज+ 2021-22 के अनुसार, कुरनूल जिले, आंध्र प्रदेश और भारत का छात्र शिक्षक अनुपात (पीटीआर) इस प्रकार है:

छात्र शिक्षक अनुपात (पीटीआर)

स्थान	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक
कुरनूल	34	21	11	23
आंध्र प्रदेश	24	16	10	25
भारत	28	23	18	27

(नोट- नांदयाल जिले का गठन 2022 में आंध्र प्रदेश राज्य के कुरनूल जिले से किया गया था)

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है, इसलिए शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तैनाती संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और छात्रों की बढ़ती संख्या/नए स्कूलों के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती रहती हैं। इसके अलावा, समग्र शिक्षा के तहत, केंद्र सरकार स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार उचित छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए अतिरिक्त शिक्षकों के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है। केंद्र सरकार लगातार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ शिक्षकों की शीघ्र भर्ती और पुनर्नियुक्ति के मामले पर ध्यान दे रही है। उचित छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर सलाह भी जारी की गई है।

(ख): आंध्र प्रदेश सरकार ने बताया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान नांदयाल जिले में पीएम पोषण योजना में धन के दुर्विनियोग का कोई मामला नहीं है।

(ग): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2018-19 से स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना- समग्र शिक्षा शुरू की है। इस योजना को अब एनईपी 2020 की सिफारिशों के साथ अनुकूलित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को एक

समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच मिले, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए। इसके अलावा, राज्य सरकार ने विशेष नामांकन अभियान, शिक्षा तक बेहतर पहुंच, आवासीय विद्यालय सुविधाएं, माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (एसएससी) अनुत्तीर्ण छात्रों का पुनः नामांकन, निःशुल्क शैक्षिक संसाधनों का प्रावधान और वैकल्पिक शैक्षिक सुविधाओं में नामांकन (एपी ओपन स्कूल और कौशल केंद्रों और व्यावसायिक प्रशिक्षण में नामांकन) जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं ताकि स्कूल छोडने वाले छात्रों की संख्या में कमी लाई जा सके। यूडाइज+ 2021-22 के अनुसार, कुरनूल जिले, आंध्र प्रदेश और भारत के स्कूल छोड़ने वालों की संख्या इस प्रकार है:

स्थान	प्राथमिक ड्रॉपआउट दर			उच्च प्राथमिक विद्यालय छोड़ने की दर			माध्यमिक विद्यालयों में छोडने की दर		
	लड़की	लड़का	समग्र	लड़की	लड़का	समग्र	लड़की	लड़का	समग्र
कुरनूल	0.0	0.0	0.0	4.7	4.1	4.4	19.7	20.5	20.1
आंध्र प्रदेश	0.0	0.0	0.0	1.5	1.7	1.6	15.0	17.5	16.3
अखिल भारतीय	1.4	1.6	1.5	3.3	2.7	3.0	12.3	13.0	12.6

(नोट- नांदयाल जिले का गठन 2022 में आंध्र प्रदेश राज्य के कुरनूल जिले से किया गया था)

*****